न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 18 / 2021

अनवान

1. श्रीमती सोहनी पत्नी स्व0 श्री गोवर्धन गाडरी निवासी बरडौद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. बालू पुत्र श्री चतुर्जन गाडरी नि. बरडौद।
2. नारायण पुत्र श्री चतुर्भज गाडरी नि. बरडौद।
3. भैरू पुत्र श्री चतुर्भज गाडरी नि. बरडौद।
4. चंदी पत्नी श्री चतुर्भज गाडरी नि. बरडौद।
5. नारायण पुत्र श्री भोना जाट नि. बरडौद।
6. कालु लाल पुत्र श्री चुना जाट नि. बरडौद।
7. गणेश पुत्र श्री उदयराम गाडरी(पूर्बिया) नि. सायला।
8. नारायण पुत्र श्री उदयराम गाडरी(पूर्बिया) नि. सायला।
9. भोला पुत्र श्री हेमा जाट निवासी बरडौद।
10. जगदीश पुत्र श्री भवाना लुहार निवासी बरडौद।
11. भंवर पुत्र श्री भवाना लुहार निवासी बरडौद।
12. रतना पुत्र श्री भवाना निवासी बरडौद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 31–08–2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूॅ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 03.03.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम बरडौद पटवार हल्का बरडौद भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडौद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1691 की आराजी संख्या 2.0232 है0 आराजी संख्या 1726 रकबा 0.2529 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.2761 है भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 12 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तह[illegible] जाते है कि **ग्राम बरडौद पटवार हल्का बरडौद भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र [illegible] भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1691 की आराजी संख्या 2.0232 है0 आराजी संख्या 17[illegible] रकबा 0.2529 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.2761 है भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लै[illegible] रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 31/08/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ